संख्या-489/2017/453/22-2-2017-17(127)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मूला पुत्र श्री गीतम सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक 28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मूला पुत्र श्री गीतम सिंह, निवासी-ग्राम- पौरी, थाना-फरह, जनपद-मथुरा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पैसों के लेन-देन की रंजिश को लेकर दिनांक 25.08.2003 को 05 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे,बन्दूक एवं राइफल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 02 व्यक्तियों को घायल कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-100/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 31.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 10 वर्ष 07 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 11 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है, 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से पारित जमानत आदेश के अनुपालन में जमानत पर रिहा, 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय से निर्णय से पूर्व ही फरार तथा 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि 02 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मूला (बन्दी संख्या-12164) पुत्र श्री गीतम सिंह, निवासी-जनपद-मथुरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-489/2017/453/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in